

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक:-एफ 2(4)कार्मिक/क-2/2016

जयपुर, दिनांक: 11.08.2016

आज्ञा

1. समस्त अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर) सहित।

विषय:-अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अनारक्षित वर्ग के स्थानीय सदस्यों से भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में रोस्टर बिन्दु।


इस विभाग द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 13(20)कार्मिक/क-2/91/पार्ट दिनांक 4.7.2016 के द्वारा, विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों से भरे जाने का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र की शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों पर किसी भी जाति या वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी का, योग्यता के आधार पर वरीयता कम में, नियमानुसार चयन किये जाने का भी प्रावधान किया गया है, चाहे वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वर्ग से संबंधित हों।

इसी प्रकार, कार्मिक विभाग द्वारा जारी एक अन्य अधिसूचना क्रमांक एफ 13(20)कार्मिक/क-2/91/पार्ट दिनांक 4.7.2016 के द्वारा, विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में, राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर पदोन्नति में अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति के कार्मिकों को 5 प्रतिशत तथा अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों को 45 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अनुसूचित क्षेत्रों में उक्त प्रवर्गों की सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए, उक्त आरक्षण के भली प्रकार अनुपालन के उद्देश्य से, इस विभाग की आज्ञा दिनांक 31.7.2014 द्वारा निर्धारित रोस्टर जारी किये गये हैं। इसी क्रम में कार्मिक विभाग द्वारा सीधी भर्ती हेतु पूर्व में जारी रोस्टर की आज्ञा दिनांक 31.7.2014 के अतिक्रमण में, अनुसूचित क्षेत्र की सेवाओं के लिए सीधी भर्ती एवं पदोन्नति हेतु संलग्न अनुसार रोस्टर बिन्दुओं का संशोधित परिशिष्ट प्रचलित किया जाता है।

संलग्न परिशिष्ट में अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अनारक्षित अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय सदस्यों हेतु सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में आरक्षण का निर्धारित रोस्टर, मूल अधिसूचना जारी होने की दिनांक से ही लागू होगा।


आज्ञा से


(ओ०पी० गुप्ता)

संयुक्त शासन सचिव


प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव-1, मा० मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी:-

1. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. पंजीयक, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
7. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली


संयुक्त शासन सचिव

32/2016

परिशिष्ट

अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अनारक्षित अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय सदस्यों से भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में आरक्षण हेतु निर्धारित रोस्टर बिन्दु :-

क्र.स.	अनुसूचित जाति 5 प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति 45 प्रतिशत	प्रवर्ग जिसके लिए पद चिन्हित किया जाना चाहिए
1.	2.	3.	4.
1.	0.05	0.45	अनारक्षित
2.	0.10	0.90	अनारक्षित
3.	0.15	1.35	अ.ज.जा.-1
4.	0.20	1.80	अनारक्षित
5.	0.25	2.25	अ.ज.जा.-2
6.	0.30	2.70	अनारक्षित
7.	0.35	3.15	अ.ज.जा.-3
8.	0.40	3.60	अनारक्षित
9.	0.45	4.05	अ.ज.जा.-4
10.	0.50	4.50	अनारक्षित
11.	0.55	4.95	अनारक्षित
12.	0.60	5.40	अ.ज.जा.-5
13.	0.65	5.85	अनारक्षित
14.	0.70	6.30	अ.ज.जा.-6
15.	0.75	6.75	अनारक्षित
16.	0.80	7.20	अ.ज.जा.-7
17.	0.85	7.65	अनारक्षित
18.	0.90	8.10	अ.ज.जा.-8
19.	0.95	8.55	अनारक्षित
20.	1.00	9.00	अ.जा.-1
21.	1.05	9.45	अ.ज.जा.-9
22.	1.10	9.90	अनारक्षित
23.	1.15	10.35	अ.ज.जा.-10
24.	1.20	10.80	अनारक्षित
25.	1.25	11.25	अ.ज.जा.-11
26.	1.30	11.70	अनारक्षित
27.	1.35	12.15	अ.ज.जा.-12
28.	1.40	12.60	अनारक्षित
29.	1.45	13.05	अ.ज.जा.-13
30.	1.50	13.50	अनारक्षित
31.	1.55	13.95	अनारक्षित
32.	1.60	14.40	अ.ज.जा.-14

1.	2.	3.	4.
33.	1.65	14.85	अनारक्षित
34.	1.70	15.30	अ.ज.जा.—15
35.	1.75	15.75	अनारक्षित
36.	1.80	16.20	अ.ज.जा.—16
37.	1.85	16.65	अनारक्षित
38.	1.90	17.10	अ.ज.जा.—17
39.	1.95	17.55	अनारक्षित
40.	2.00	18.00	अ.जा.—2
41.	2.05	18.45	अ.ज.जा.—18
42.	2.10	18.90	अनारक्षित
43.	2.15	19.35	अ.ज.जा.—19
44.	2.20	19.80	अनारक्षित
45.	2.25	20.25	अ.ज.जा.—20
46.	2.30	20.70	अनारक्षित
47.	2.35	21.15	अ.ज.जा.—21
48.	2.40	21.60	अनारक्षित
49.	2.45	22.05	अ.ज.जा.—22
50.	2.50	22.50	अनारक्षित
51.	2.55	22.95	अनारक्षित
52.	2.60	23.40	अ.ज.जा.—23
53.	2.65	23.85	अनारक्षित
54.	2.70	24.30	अ.ज.जा.—24
55.	2.75	24.75	अनारक्षित
56.	2.80	25.20	अ.ज.जा.—25
57.	2.85	25.65	अनारक्षित
58.	2.90	26.10	अ.ज.जा.—26
59.	2.95	26.55	अनारक्षित
60.	3.00	27.00	अ.जा.—3
61.	3.05	27.45	अ.ज.जा.—27
62.	3.10	27.90	अनारक्षित
63.	3.15	28.35	अ.ज.जा.—28
64.	3.20	28.80	अनारक्षित
65.	3.25	29.25	अ.ज.जा.—29
66.	3.30	29.70	अनारक्षित
67.	3.35	30.15	अ.ज.जा.—30
68.	3.40	30.60	अनारक्षित
69.	3.45	31.05	अ.ज.जा.—31
70.	3.50	31.50	अनारक्षित
71.	3.55	31.95	अनारक्षित

1.	2.	3.	4.
72.	3.60	32.40	अ.ज.जा.-32
73.	3.65	32.85	अनारक्षित
74.	3.70	33.30	अ.ज.जा.-33
75.	3.75	33.75	अनारक्षित
76.	3.80	34.20	अ.ज.जा.-34
77.	3.85	34.65	अनारक्षित
78.	3.90	35.10	अ.ज.जा.-35
79.	3.95	35.55	अनारक्षित
80.	4.00	36.00	अ.जा.-4
81.	4.05	36.45	अ.ज.जा.-36
82.	4.10	36.90	अनारक्षित
83.	4.15	37.35	अ.ज.जा.-37
84.	4.20	37.80	अनारक्षित
85.	4.25	38.25	अ.ज.जा.-38
86.	4.30	38.70	अनारक्षित
87.	4.35	39.15	अ.ज.जा.-39
88.	4.40	39.60	अनारक्षित
89.	4.45	40.05	अ.ज.जा.-40
90.	4.50	40.50	अनारक्षित
91.	4.55	40.95	अनारक्षित
92.	4.60	41.40	अ.ज.जा.-41
93.	4.65	41.85	अनारक्षित
94.	4.70	42.30	अ.ज.जा.-42
95.	4.75	42.75	अनारक्षित
96.	4.80	43.20	अ.ज.जा.-43
97.	4.85	43.65	अनारक्षित
98.	4.90	44.10	अ.ज.जा.-44
99.	4.95	44.55	अ.जा.-5
100.	5.00	45.00	अ.ज.जा.-45

नोट :- अनुसूची में चिन्हित प्रवर्ग निम्न प्रकार है:-

1. अ.जा. - अनुसूचित जाति ।
2. अ.ज.जा. - अनुसूचित जनजाति ।

32/2016